

अनुदान मांग 2023-24 का विश्लेषण

जल शक्ति

जल शक्ति मंत्रालय भारत के जल संसाधनों के विकास और सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण पेयजल और स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।^{1,2} मंत्रालय का गठन 2019 में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय को जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में विलय करके किया गया था। मंत्रालय के दो विभाग हैं, दोनों उन पूर्ववर्ती मंत्रालयों में भी मौजूद थे, जिन्हें जल शक्ति मंत्रालय में शामिल किया गया था।³

इस नोट में 2023-24 के लिए जल शक्ति मंत्रालय के लिए प्रस्तावित व्यय, वित्तीय रुझान और मंत्रालय की योजनाओं और कार्यक्रमों से संबंधित मुद्दों पर विचार किया गया है।

केंद्रीय बजट 2023-24 की मुख्य विशेषताएं

जल शक्ति मंत्रालय को 2023-24 में 97,278 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।^{4,5} जल संसाधन विभाग को 20,055 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान से 43% अधिक है। पेयजल और स्वच्छता विभाग को 77,223 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो 2022-23 के संशोधित अनुमानों से 29% अधिक है।

तालिका 1: जल शक्ति मंत्रालय को बजटीय आवंटन (करोड़ रुपए में)

विभाग	21-22 वास्तविक	22-23 बअ	22-23 संअ	23-24 बअ	% परिवर्तन*
जल संसाधन	17,215	18,968	14,000	20,055	43%
पेयजल और सैनिटेशन	66,252	67,221	60,029	77,223	29%
कुल	83,467	86,189	74,029	97,278	31%

नोट: बअ बजट अनुमान और संअ संशोधित अनुमान है।

*% परिवर्तन 2023-24 बअ के मुकाबले 2022-23 संअ में होने वाला परिवर्तन है।

स्रोत: अनुदान की मांग 2023-24, जल शक्ति मंत्रालय; पीआरएस।

पेयजल और स्वच्छता विभाग

वित्तीय स्थिति


पेयजल और स्वच्छता विभाग का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध हों।² विभाग को 2023-24 के लिए 77,223 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जो 2022-23 के संशोधित अनुमानों से 29% अधिक है। 2013-14 से विभाग के बजटीय आवंटन में लगभग 18% की वृद्धि हुई है। हालांकि 2021-22 में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जब बजटीय आवंटन पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों के तीन गुना से अधिक था। 2019-20 से विभाग स्वच्छता के मुकाबले पेयजल पर अधिक व्यय कर रहा है।

विभाग के तहत प्रमुख योजनाएं

विभाग दो प्रमुख योजनाओं को लागू करता है: (i) जल जीवन मिशन (जेजेएम), और (ii) स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी)। जेजेएम का लक्ष्य 2024 तक हर घर में नल कनेक्शन के माध्यम से पीने का पानी उपलब्ध कराना है।² यह ग्रे वाटर (उपयोग किए गए पानी) प्रबंधन, जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन को भी बढ़ावा देता है। 2019 तक सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन को

राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में शुरू किया गया था। 2023-24 में विभाग के लिए बजटीय आवंटन का 91% जेजेएम के लिए और 9% एसबीएम-जी के लिए है।

रेखाचित्र 1: पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को बजटीय आवंटन (करोड़ रुपए में)



स्रोत: पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की विभिन्न वर्षों की अनुदान मांगें; पीआरएस।

तालिका 2: पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित योजनाएं (करोड़ रुपए में)

प्रमुख मद	21-22 वास्तविक	22-23 संअ	23-24 बअ	% परिवर्तन (23-24 बअ/22-23 संअ)
जेजेएम	63,126	55,000	70,000	27%
एसबीएम-जी	3,099	5,000	7,192	44%
अन्य	27	29	31	6%
कुल	66,252	60,029	77,223	29%


स्रोत: पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की अनुदान मांगें, 2023-24; पीआरएस।

मुख्य मुद्दे और विश्लेषण

जल जीवन मिशन

जेजेएम को 2019 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार (16 करोड़ परिवारों) को चालू घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान करना था। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को इसमें शामिल किया गया था।^{6,7} 15वें वित्त आयोग ने जल आपूर्ति और स्वच्छता में सुधार के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों को 2.36 लाख करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की। इस धनराशि का 60% (1.42 लाख करोड़ रुपए) विशेष रूप से पेयजल, वर्षा जल संचयन और स्वच्छता सुविधाओं के लिए उपयोग किया जाना है। जेजेएम का कुल अनुमानित परिस्य 2019 और 2024 के बीच 3.6 लाख करोड़ रुपए है।⁷ 16 फरवरी, 2023 तक योजना पर कुल खर्च 1.3 लाख करोड़ रुपए है।⁸

रेखाचित्र 2: पेयजल परियोजनाओं पर बजटीय आवंटन और व्यय (करोड़ रुपए में)



नोट: बअ बजट अनुमान है। स्रोत: पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की विभिन्न वर्षों की अनुदान मांगें; पीआरएस।

2021-22 में पेयजल आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि (335%) हुई। इसका कारण जेजेएम के आवंटन में वृद्धि थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जेजेएम को 70,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो 2022-23 के संशोधित अनुमान से 27% अधिक है।

2024 तक देश में सभी घरों (19.4 करोड़) को एफएचटीसी तक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से जेजेएम को शुरू किया गया था।⁷ योजना शुरू होने के समय 3.2 करोड़ घरों में नल के पानी के कनेक्शन थे। 14 फरवरी, 2023 तक योजना के तहत 7.9 करोड़ परिवारों को एफएचटीसी प्रदान किए गए हैं। 14 फरवरी, 2023 तक कुल 11.2 करोड़ (57.56%) घरों में नल के पानी के कनेक्शन हैं।⁹

तालिका 3: जेजेएम का संचयी भौतिक प्रदर्शन

महीना	एफएचटीसी प्राप्त परिवारों की संख्या (करोड़ में)	एफएचटीसी वाले परिवारों का %
अगस्त 2019	3.2	17%
अगस्त 2020	5.3	27%
अगस्त 2021	8.1	42%
अगस्त 2022	10.1	52%
फरवरी 2023	11.2	58%

स्रोत: 14 फरवरी, 2023 को एक्सेस किया गया जेजेएम डैशबोर्ड; पीआरएस


राज्य सरकारों ने कई रुकावटों की पहचान की है जिनके कारण धन के उपयोग और जेजेएम के कार्यान्वयन में देरी होती है।¹⁰ इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) असमान भौगोलिक भूभाग, (ii) ग्रामीण बस्तियों का छितरा हुआ होना, (iii) भूजल की कमी, (iv) प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियां, (v) सामान की कीमतों में उतार-चढ़ाव, और (vi) मंजूरी प्राप्त करने में देरी। 15वें वित्त आयोग ने कहा था कि 63% से अधिक ग्रामीण बस्तियों को भूजल स्रोतों से पाइपड पानी प्राप्त होता है।¹¹ इससे भारत के अति-तनावग्रस्त भूजल

संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। कोविड-19 महामारी और उसके बाद के लॉकडाउन के कारण भी लक्ष्यों की प्राप्ति में देरी हुई।

उपलब्धियों में अंतरराज्यीय भिन्नताएं

जल संसाधन संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (2022) ने कहा कि अनेक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने जेजेएम के तहत 90-100% पारिवारिक इकाई कवरेज हासिल किया है।¹⁰ हालांकि कमिटी ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरल जैसे राज्यों ने अपनी पारिवारिक इकाइयों को 40% से भी कम एफएचटीसी प्रदान किए। विभाग ने 13 प्रमुख राज्यों को चिन्हित किया जहां 95% से भी अधिक पारिवारिक इकाइयों को एफएचटीसी नहीं मिले हैं। इन राज्यों को जेजेएम को लागू करने में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा, वे इस प्रकार हैं¹⁰: (i) भूजल की कमी, (ii) समय पर राज्य के हिस्से के योगदान में असमर्थता, और (iii) स्थानीय समुदाय की तरफ से अपर्याप्त योगदान।

रेखाचित्र 3: नल जल आपूर्ति वाले परिवारों का %



स्रोत: 14 फरवरी, 2023 को एक्सेस किया गया जेजेएम डैशबोर्ड; पीआरएस

पानी की गुणवत्ता

जल संसाधन संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (2022) ने कहा था कि देश की हजारों ग्रामीण बसाहटों में विषाक्त जल

स्रोत हैं।¹⁴ आर्सेनिक, फ्लोराइड, लोहे, नाइट्रेट और भारी धातुओं ने इन बसाहटों में पेयजल स्रोतों को दूषित कर दिया है। यदि गहरे कुओं की खुदाई के माध्यम से भूजल का दोहन किया जाता है, तो इन स्रोतों का रासायनिक प्रदूषण और भी बदतर हो सकता है।¹¹

जेजेएम के तहत, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश नल कनेक्शन स्थापित होने तक अंतरिम उपाय के रूप में घरों की बुनियादी जरूरतों के लिए गुणवत्तापूर्ण पानी उपलब्ध कराने हेतु सामुदायिक जल शोधन संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपी) स्थापित कर सकते हैं। कमिटी ने कहा कि दूषित पानी वाली 6% से भी कम बस्तियां सीडब्ल्यूपीपी द्वारा कवर की गई थीं।¹⁰ उन्होंने सुझाव दिया कि इन बस्तियों को सीडब्ल्यूपीपी के कवरेज के तहत लाया जाए और गुणवत्तापूर्ण पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल्द से जल्द एफएचटीसी प्रदान किया जाए।

तालिका 4: दूषित जल स्रोतों से प्रभावित बसाहटों की संख्या

वर्ष	प्रभावित बसाहटों की संख्या
अप्रैल 2019	57,539
अप्रैल 2020	54,166
अप्रैल 2021	36,054
अप्रैल 2022	27,160
जून 2022	26,930

स्रोत: रिपोर्ट संख्या 19, जल संसाधन संबंधी स्टैंडिंग कमिटी; पीआरएस।

स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण

2019 तक सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के उद्देश्य से एसबीएम-जी को एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 2014 में शुरू किया गया था।⁷ यह ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता में सुधार और खुले में शौच को समाप्त करने पर भी केंद्रित है। अक्टूबर 2019 तक देश के सभी गांवों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित कर दिया गया था। योजना का दूसरा चरण 2020 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य चरण 1 में देश द्वारा प्राप्त ओडीएफ स्थिति को बनाए रखना है, और सभी गांवों को ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के साथ कवर करना है।⁷ यदि ये मानदंड पूरे होते हैं तो एक गांव ओडीएफ प्लस का दर्जा प्राप्त करता है, और वह गांव दिखने में साफ-सुथरा है।

14 फरवरी, 2023 तक 1.97 लाख गांवों (सभी गांवों का 33%) ने ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है (अनुलग्नक 1 देखें)।¹² 1.4 लाख गांवों ने ठोस कचरा प्रबंधन और 1.5 लाख गांवों ने तरल कचरा प्रबंधन की


व्यवस्था की है।

राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण (2019-20) में पाया गया कि 6% ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय तक पहुंच नहीं थी और वे खुले में शौच करते थे।¹³ जिन परिवारों के पास शौचालय तक पहुंच है, उनमें से 96% के पास चालू शौचालय पाए गए। हालांकि केवल 73% पारिवारिक इकाइयों में घर के परिसर के भीतर पानी उपलब्ध था। 15वें वित्त आयोग ने कहा था कि यदि गांवों की ओडीएफ स्थिति को बनाए रखना है तो ग्रामीण घरों में पाइप से पानी की आपूर्ति आवश्यक है।¹¹ यह जेजेएम और एसबीएम-जी को एक साथ चलाए जाने की जरूरत पर प्रकाश डालता है।

एसबीएम-जी चरण II में धनराशि उपयोग बदतर

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एसबीएम-जी को 7,192 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 2016-17 से एसबीएम-जी के लिए बजट आवंटन 8% कम हो गया है। 2018-19 के बाद से योजना पर वास्तविक व्यय बजट अनुमान से कम रहा है। 2021-22 में वास्तविक व्यय बजट अनुमान का 31% था।

रेखाचित्र 4: एसबीएम-जी को बजटीय आवंटन की तुलना में वास्तविक व्यय में कमी



स्रोत: विभिन्न वर्षों के बजट दस्तावेज; पीआरएस।

विभाग ने स्टैंडिंग कमिटी को धन के पर्याप्त उपयोग और योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं की जानकारी दी।¹⁴ एसबीएम-जी चरण II में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के तहत पहल शामिल है, जो इस चरण को चरण I की तुलना में अधिक जटिल बनाता है। विभिन्न स्तरों पर कार्यान्वयन एजेंसियों और पदाधिकारियों में इन गतिविधियों को करने की क्षमता का अभाव है। मौजूदा परिसंपत्तियों का उपयोग योजना के तहत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और मल कीचड़

प्रबंधन जैसी गतिविधियों के लिए किए जाने की उम्मीद है। हालांकि इसके लिए अक्सर ग्रामीण और शहरी पदाधिकारियों के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है।

तालिका 5: एसबीएम-जी को आवंटित और जारी धनराशि (करोड़ रुपए में)

वर्ष	आवंटित धनराशि	राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जारी धनराशि
2016-17	10,500	10,272
2017-18	16,948	16,611
2018-19	23,176	21,493
2019-20	11,938	10,992
2020-21	6,000	3,892
2021-22	6,000	2,058
कुल	83,938	74,412

स्रोत: अतारांकित प्रश्न संख्या 443, राज्यसभा, जिसका उत्तर 6 फरवरी, 2023 को दिया गया; पीआरएस।

इकाई सहयोग में वृद्धि

एसबीएम-जी के तहत व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) के निर्माण के लिए लाभार्थियों को 12,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। जल संसाधन संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (2022) ने कहा कि यह राशि पूरी तरह से अपर्याप्त है।¹⁰ यह शौचालयों के निर्माण की लागत को कवर नहीं करती है, जिसमें सामग्री और श्रम की लागत शामिल है। उन्होंने सुझाव दिया कि इकाई सहायता को बढ़ाकर 20,000 रुपए किया जाए।¹⁰ विभाग ने जवाब दिया कि यदि राज्य अतिरिक्त धनराशि प्रदान करते हैं तो लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली कुल सहायता बढ़ाई जा सकती है। वर्तमान में केंद्र सरकार उत्तर-पूर्वी राज्यों, हिमालयी राज्यों और जम्मू-कश्मीर में कुल लागत का 90% और अन्य राज्यों में 60% लागत वहन करती है। राज्यों को इन दो श्रेणियों के राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को क्रमशः 1,200 रुपए और 4,800 रुपए ही उपलब्ध कराने हैं। विभाग ने यह भी सुझाव दिया कि लाभार्थियों को स्वामित्व बढ़ाने के लिए अपना स्वयं का हिस्सा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।¹⁰

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग


वित्तीय स्थिति

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग का लक्ष्य एकीकृत जल प्रबंधन के माध्यम से गरीबी में कमी, पर्यावरणीय स्थिरता और सतत आर्थिक विकास

हासिल करना है।¹ यह नदी बेसिन प्रबंधन, प्रमुख सिंचाई, जल संसाधन प्रबंधन और बांध रखरखाव के लिए योजनाएं लागू करता है। इसके संलग्न और अधीनस्थ कार्यालय भी हैं जो इन मामलों पर तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

2013-14 और 2023-24 के बीच विभाग के लिए बजटीय आवंटन 25% की औसत वार्षिक दर से बढ़ा है। 2021-22 में आवंटन में 110% का उछाल आया। यह नदी इंटर-लिकिंग परियोजनाओं और त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) पर अतिरिक्त व्यय के कारण था। 2020-21 तक एआईबीपी के तहत परियोजनाओं के लिए केंद्रीय हिस्सेदारी नाबार्ड से ऋण के माध्यम से जुटाई गई थी। 2021-22 से एआईबीपी परियोजनाओं के लिए बजटीय सहायता प्रदान की गई है, जिससे विभाग को आवंटन बढ़ गया है।¹⁵

रेखाचित्र 5: 2013-14 और 2023-24 के बीच व्यय (करोड़ रुपए में)



नोट: बअ बजट अनुमान है। 2022-23 का वास्तविक आंकड़ा संशोधित अनुमान है। स्रोत: विभिन्न वर्षों के लिए जल शक्ति मंत्रालय की अनुदान मांगें; पीआरएस।

विभाग के तहत प्रमुख योजनाएं

2023-24 में कुल बजटीय आवंटन का 43% प्रधानमंत्री-कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के लिए किया गया है। इसके बाद नमामि गंगे कार्यक्रम (20%), नदी इंटर-लिकिंग (17%), और जल संसाधन प्रबंधन (10%) का स्थान आता है। विभाग जल संसाधनों के संरक्षण, उनकी गुणवत्ता में सुधार और देश में पानी का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू कर रहा है। हालांकि इन योजनाओं को योजना और कार्यान्वयन में समान समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जल संसाधन संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (2022) और कैग (2017,2018) ने विभाग के तहत कई योजनाओं के लिए योजना और बजट से संबंधित मुद्दे उठाए हैं। धनराशि आवंटित होने के बावजूद, उपयोग कम है।^{17,31,39} इन समस्याओं के

कारण, लक्ष्य पूरे नहीं हो पाते हैं, या महत्वपूर्ण समय और लागत में वृद्धि के साथ हासिल किए जाते हैं।

तालिका 6: जल संसाधन विभाग को आवंटन (करोड़ रुपए में)

योजना	21-22 वास्तविक	22-23 बअ	22-23 संअ	23-24 बअ	% परिवर्तन *
पीएमकेएसवाई	8,541	10,95	7,08	8,58	21%
ई		4	5	7	
नमामि गंगे	1,893	2,800	2,50	4,00	60%
			0	0	
नदी इंटर-लिकिंग	4,634	1,400	1,10	3,50	218%
			0	0	
एबीवाई	327	700	700	1,00	43%
				0	
सीडब्ल्यूसी	363	411	385	460	20%
केंद्रीय भूमि जल बोर्ड	262	282	291	304	5%
ड्रिप	23	100	25	50	100%

नोट: एबीवाई- अटल भूजल योजना; सीडब्ल्यूसी - केंद्रीय जल आयोग; सीजीडब्ल्यूसी - केंद्रीय भूजल बोर्ड; ड्रिप- बांध पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम; *% परिवर्तन 2022-23 संशोधित अनुमान की तुलना में 2023-24 बजट अनुमान को संदर्भित करता है। स्रोत: अनुदान की मांग, जल संसाधन विभाग, 2023-24; पीआरएस।

मुख्य मुद्दे और विश्लेषण

भूजल प्रबंधन

केंद्रीय जल आयोग द्वारा किए गए एक अध्ययन में 2011 में प्रति व्यक्ति पानी की औसत उपलब्धता 1,545 घन मीटर होने का अनुमान लगाया गया है।¹⁶ 2021 तक इसके घटकर 1,486 क्यूबिक मीटर होने का अनुमान लगाया गया था। 1,700 क्यूबिक मीटर से कम वार्षिक प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता को जल संकट की स्थिति माना जाता है।¹⁷ 2022 में देश भर में केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा विश्लेषित 33% इकाइयों (ब्लॉक/मंडल/जिले) अर्ध-गंभीर, गंभीर, अत्यधिक दोहित या पूरी तरह से खारी पाई गई।¹⁸

अस्थिर कृषि: 2022 में भारत के भूजल विकास का समग्र स्तर 60% था।¹⁸ भूजल विकास का स्तर, भूजल पुनर्भरण के अनुपात के रूप में उपयोग किए जा रहे भूजल की मात्रा है। हालांकि यह अनुपात राज्यों में भिन्न-भिन्न है। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव में भूजल विकास 100% से अधिक था, जिसका अर्थ है कि भूजल की खपत पुनर्भरण से अधिक थी। सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए भूजल विकास का चरण अनुलग्नक II में दिया गया है।

केंद्रीय भूजल बोर्ड ने बताया है कि सालाना निकाले गए भूजल का 87% सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है।¹⁸ जल संसाधन संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (2022) ने कहा कि सबसिडी वाली बिजली और उर्वरकों ने किसानों को पानी की कमी वाले क्षेत्रों में भी जल-गहन फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया है।¹⁷ बिजली की कीमतों को रेशनलाइज करने से किसान पानी की अधिक खपत से हतोत्साहित हो सकते हैं। कमिटी ने सुझाव दिया कि जल संसाधन विभाग कुशल बिजली मूल्य निर्धारण का पता लगाने के लिए ऊर्जा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और राज्य विभागों के साथ मिलकर काम करे।¹⁷

सरकार अपनी खरीद नीति के माध्यम से प्रमुख खाद्य फसलों के उत्पादकों को मदद देती है। इनमें से कुछ फसलों, जैसे चावल और गन्ना, के लिए पानी की अधिक खपत होती है। 2020-21 में शीर्ष चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब थे।¹⁹ गन्ने के शीर्ष उत्पादक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक थे। उत्तर प्रदेश में 34% ब्लॉकों में भूजल का (अर्ध)-गंभीर या अत्यधिक दोहन है।¹⁸ महाराष्ट्र में, अनुपात 23% है। पानी की अधिक खपत वाली फसलें उन क्षेत्रों में भी उगाई जाती हैं, जहां पानी की कमी होती है, क्योंकि किसानों को इन फसलों के लिए सुनिश्चित मूल्य मिलते हैं। इससे इन क्षेत्रों में भूजल स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। 15वें वित्त आयोग ने सुझाव दिया कि पानी की कमी वाले क्षेत्रों में किसानों को ड्रिप सिंचाई जैसी तरीकों को अपनाने या पानी की अधिकता वाली फसलों को न उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।¹¹

अटल भूजल योजना: 2020 में अटल भूजल योजना 6,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में शुरू की गई थी।²⁰ इसका लक्ष्य 2020-21 से 2024-25 तक पांच वर्षों में भूजल संसाधनों के प्रबंधन में सुधार करना है। यह योजना सात राज्यों में लागू की जाएगी, जहां देश में पानी की कमी वाले ब्लॉकों का 37% हिस्सा है। हालांकि पंजाब, जिसका भूजल विकास 166% (2022) है, को इस योजना से बाहर रखा गया है।¹⁸ मंत्रालय ने कहा है कि भाग लेने वाले राज्यों का निर्धारण परामर्श, भूजल की गंभीरता, इच्छा और तैयारी के स्तर के आधार पर किया गया था।²¹

इस योजना को 2023-24 में 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जो 2022-23 के बजट आवंटन

से 43% अधिक है। हालांकि आवंटित धनराशि का लगभग 20% ही जारी किया गया है, और जारी धनराशि का 15% से भी कम खर्च किया गया है (तालिका 7)।

तालिका 7: अटल भूजल योजना पर धन का आवंटन, उसे जारी करना और व्यय (करोड़ रुपये में)

राज्य	आवंटित धनराशि	जारी धनराशि	व्यय
गुजरात	346	72	22
हरियाणा	339	54	39
कर्नाटक	421	2	14
मध्य प्रदेश	124	26	0
महाराष्ट्र	408	44	22
राजस्थान	508	67	11
उत्तर प्रदेश	283	4	0

स्रोत: अटल भूजल योजना डैशबोर्ड, 13 फरवरी, 2023 को एक्सेस किया गया; पीआरएस।

तालिका 8: 2022-23 में अटल भूजल योजना के तहत लक्ष्यों की प्राप्ति (16 फरवरी, 2023 तक)

किए गए कार्य	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का %
प्रशिक्षण कार्यक्रम	1,60,055	13,606	9%
डिजिटल/एनालॉग जल स्तर संकेतक	7,410	5,634	76%
वर्षा नापने का यंत्र	7,149	1,663	23%
जल प्रवाह मीटर	64,857	2,458	4%
जल गुणवत्ता परीक्षण किट	6,252	2,703	43%

नोट: उपकरण के लिए लक्ष्य का अर्थ है, स्थापित उपकरणों की संख्या। स्रोत: अटल भूजल योजना डैशबोर्ड, 17 फरवरी, 2023 को एक्सेस किया गया; पीआरएस।

भूजल पर घटती निर्भरता: 15वें वित्त आयोग ने सुझाव दिया कि भूजल स्रोतों पर निर्भरता कम करने के लिए सतही जल स्रोतों का इष्टतम उपयोग किया जाए।¹¹ 2019 में शुरू किया गया जल शक्ति अभियान एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, जिसका लक्ष्य देश के 256 जल-तनावग्रस्त जिलों में जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना है।²² अभियान को 2021 और 2022 में देश भर के सभी जिलों में विस्तारित किया गया था। फरवरी 2023 तक वर्षा जल संचयन संरचनाओं, वाटरशेड विकास और गहन वनीकरण जैसी गतिविधियों पर 23,717 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।²³

अप्रैल 2022 में 15 अगस्त, 2023 तक एक लाख तालाबों का निर्माण और कायाकल्प करके, भविष्य के लिए पानी के संरक्षण के लिए मिशन अमृत सरोवर

लॉन्च किया गया था।²⁴ 16 फरवरी, 2023 तक 95,000 से अधिक स्थलों की पहचान की गई है। 61% साइटों पर काम शुरू हो चुका है और 54% काम पूरा हो चुका है।²⁵


केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी): सीजीडब्ल्यूबी एक वैज्ञानिक संगठन है जो देश के जल संसाधनों के सतत विकास के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रसार करता है।²⁶ जल संसाधन संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (2022) ने कहा था कि सीजीडब्ल्यूबी में लगभग 32% पद खाली हैं।¹⁷ वैज्ञानिक श्रेणी में 38% और इंजीनियरिंग श्रेणी में 28% रिक्तियां हैं। कमिटी ने चिंता जताई थी कि मानव संसाधनों की कमी सीजीडब्ल्यूबी के कामकाज में बाधा उत्पन्न करेगी।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

पीएमकेएसवाई 2015-16 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका लक्ष्य (i) सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र में वृद्धि करना, (ii) खेतों पर पानी की भौतिक पहुंच बढ़ाना, (iii) खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना, और (iv) सतत जल संरक्षण पद्धतियों को शुरू करना है।²⁷ इसमें तीन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित चार घटक शामिल हैं। जल शक्ति मंत्रालय त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और हर खेत को पानी (एचकेकेपी) लागू करता है। वाटरशेड विकास घटक को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है, और प्रति बूंद अधिक फसल को कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।²⁷

2023-24 में जल संसाधन विभाग के भीतर पीएमकेएसवाई का सबसे अधिक आवंटन (43%) है। यह 2022-23 में उसकी हिस्सेदारी (58%) से कम है। 2015-16 के बाद से योजना के लिए आवंटन औसतन 36% की वार्षिक दर से बढ़ा है।

रेखाचित्र 6: पीएमकेएसवाई पर बजटीय आवंटन और वास्तविक व्यय (करोड़ रुपये में)



स्रोत: विभिन्न वर्षों के लिए जल संसाधन विभाग की अनुदान मांगें; पीआरएस।

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी): राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और उन्हें वित्तीय बाधाओं के कारण रुकी हुई बड़ी/छोटी सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने में सक्षम बनाने के लिए 1996-97 में एआईबीपी को शुरू किया गया था।²⁸ 2023-24 में एआईबीपी के लिए 3,122 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो 2022-23 में आवंटन से 3.6% कम है। 6 फरवरी, 2023 तक इस योजना से लगभग 620 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित हो चुकी है।²⁹ एआईबीपी पर कुल 23,902 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं (पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के तहत कमांड एरिया डेवलपमेंट और जल प्रबंधन कार्यक्रम के समान कार्यान्वयन के साथ), और राज्यों को 4,536 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है। इसमें 2021-22 के बाद एआईबीपी के तहत शुरू की गई छह नई परियोजनाएं शामिल हैं।

कैंग (2018) ने कहा था कि एआईबीपी के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में समय की देरी और लागत में वृद्धि देखी गई है।³⁰ जबकि केवल दो से चार वर्षों में पूरी होने वाली परियोजनाओं को एआईबीपी के तहत लाया जाना था, कुछ मामलों में वास्तविक परियोजना के पूरा होने में 18 वर्ष तक की देरी हुई। ऑडिट की गई 453 परियोजनाओं में से, लक्षित सिंचाई क्षमता का केवल 68% ही सृजित हुआ। ऑडिट की गई 84 प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए लागत में वृद्धि मूल लागत का 295% तक थी। भूमि अधिग्रहण में कमी, वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने में देरी और कार्य के डिजाइन/दायरे में बदलाव को एआईबीपी परियोजनाओं के खराब कार्यान्वयन के कारणों में गिनाया गया है।

तालिका 9: हर खेत को पानी के तहत उपलब्धियां (8 अगस्त, 2022 तक)

उपघटक (इकाई)	लक्ष्य	प्रदर्शन	उपलब्धि का %
कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र)	30.23	16.42	54%
सतही लघु सिंचाई और मरम्मत, नवीनीकरण और जल निकायों की बहाली (सृजित सिंचाई क्षमता, लाख हेक्टेयर में)	4.50	3.42	76%
भूजल विकास (सृजित सिंचाई क्षमता, हेक्टेयर में)	82,290	70,888	86%

स्रोत: तारांकित प्रश्न संख्या 235, राज्यसभा, जिसका उत्तर 8 अगस्त, 2022 को दिया गया।

बाढ़ का प्रबंधन

1980 में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने अनुमान लगाया कि भारत में 40 मिलियन हेक्टेयर भूमि बाढ़-प्रवण है।³¹ यह भारत के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग आठवां हिस्सा है। बाढ़ प्रबंधन परियोजनाएं राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपने संसाधनों से कार्यान्वित की जाती हैं।³² केंद्र सरकार बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) के माध्यम से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कुछ परियोजनाओं को लागू करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वर्तमान में 10 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एफएमबीएपी के तहत 83 परियोजनाएं चल रही हैं।³³

तालिका 10: एफएमबीएपी के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार द्वारा जारी धनराशि

वर्ष	जारी धनराशि (करोड़ में)
2017-18	563
2018-19	428
2019-20	477
2020-21	48
2021-22	239

स्रोत: एफएमबीएपी डैशबोर्ड, 13 फरवरी, 2023 को एक्सेस किया गया; पीआरएस।

बाढ़ प्रबंधन का रेगुलेशन: संविधान की अनुसूची VII की तीन सूचियों में से किसी में भी बाढ़ नियंत्रण का स्पष्ट उल्लेख नहीं है।³⁴ जल संसाधन संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (2021) ने कहा था कि चूंकि 'जल निकासी और तटबंध' राज्य सूची का हिस्सा है, इसलिए बाढ़ नियंत्रण और प्रबंधन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी मानी जाती

है।³¹ जल संसाधन विभाग ने कहा है कि केंद्र सरकार केवल राज्य सरकारों को तकनीकी और सलाहकारी सहायता प्रदान करती है। चूंकि भारत में कई नदियां राज्य की सीमाओं के पार बहती हैं, बाढ़ नियंत्रण/प्रबंधन के लिए एक राज्य द्वारा उठाए गए कदमों का नदी बेसिन के अन्य राज्यों पर प्रभाव पड़ सकता है।³¹ कमिटी ने सुझाव दिया कि 'बाढ़ नियंत्रण और प्रबंधन' को समवर्ती सूची के तहत लाया जाए। इससे देश भर में जल संसाधनों के न्यायसंगत बंटवारे के लिए एक व्यापक ढांचे के निर्माण की सुविधा मिल सकती है।

बाढ़ के मैदानों की जोनिंग: बाढ़ के मैदान की जोनिंग में बाढ़ से प्रभावित होने की आशंका वाले क्षेत्रों की पहचान करना और इन क्षेत्रों में अनुमत विकास के प्रकारों को निर्दिष्ट करना शामिल है।³¹ बाढ़ के मैदानों की जोनिंग दिशानिर्देशों की उचित पहचान और कार्यान्वयन से बाढ़ के दौरान नुकसान को कम किया जा सकता है। 15वें वित्त आयोग ने सुझाव दिया था कि सरकारों को जोखिम का अनुमान लगाना चाहिए और आकस्मिक देनदारियों को कम करने के उपाय करने चाहिए।³⁵ जल संसाधन संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (2021) ने कहा कि भारत में बाढ़ क्षेत्र की जोनिंग नहीं की गई है।³¹ केंद्र सरकार ने राज्यों को बाढ़ क्षेत्र की जोनिंग के लिए एक ड्राफ्ट मॉडल बिल सर्कुलेट किया था। बिल में बाढ़ की आवृत्ति के अनुसार बाढ़ के मैदानों का सीमांकन करने और उस पर अनुमत गतिविधियों के प्रकार को परिभाषित करने की परिकल्पना की गई है।³⁶ हालांकि केवल चार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (मणिपुर, राजस्थान, उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर) ने बाढ़ के मैदानों की जोनिंग का कानून बनाया है। बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे बाढ़ प्रभावित राज्यों ने यह कानून नहीं बनाया है। बाढ़ के मैदानों की रूपरेखा अभी भी लंबित है।

स्टैंडिंग कमिटी ने यह भी सुझाव दिया था कि देश में नदी तटों की मरम्मत और रखरखाव के लिए एक राष्ट्रीय तटबंध नीति तैयार की जाए।¹⁵ तटबंध बाढ़ नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक उपाय हैं, जिन्हें समय पर रखरखाव और सुदृढीकरण की आवश्यकता होती है। हालांकि ऐसी कोई नीति तैयार नहीं की गई है।

योजना पर अपर्याप्त ध्यान: आपदा जोखिम को समझना आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क की पहली प्रमुख प्राथमिकता है।³⁷ विधायी और

नीतिगत उपाय जैसे बाढ़ के मैदान की जोनिंग के लिए ड्राफ्ट मॉडल बिल और राष्ट्रीय तटबंध नीति आपदाओं के लिए योजना और तैयारियों की बेहतरी में मदद करते हैं। बाढ़ नियंत्रण उपायों पर पूंजीगत परिव्यय 2021-22 में 5.6 करोड़ रुपए से घटकर 2023-24 में 1.6 करोड़ रुपए अनुमानित है।⁴ योजना की कमी के कारण अपर्याप्त धन का अनुचित आवंटन हो सकता है।


नमामि गंगे

नमामि गंगे कार्यक्रम जून 2014 में गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ शुरू किया गया था।³⁸ यह (i) प्रदूषण उन्मूलन, (ii) ग्रामीण स्वच्छता, (iii) नदी तट विकास, (iv) नदी प्रवाह प्रबंधन, और (v) जैव विविधता संरक्षण पर केंद्रित है।³⁹

पहला चरण मार्च 2021 में समाप्त हुआ, जिसके बाद 22,500 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ इस योजना को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया। 2023-24 में नमामि गंगे II को 4,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जो 2022-23 के संशोधित अनुमान से 60% अधिक है। इस योजना को 2023-24 के लिए कुल विभागीय आवंटन का 20% प्राप्त हुआ।

धनराशि का कम उपयोग: जल संसाधन संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (2022) ने कहा कि नमामि गंगे कार्यक्रम में धन का काफी कम उपयोग हुआ (रेखाचित्र 7)।¹⁷ 2016-17 और 2020-21 के बीच, वास्तविक व्यय बजट अनुमान के 70% से कम था। इनमें से तीन वर्षों में यह 45% से कम था। बजट और संशोधित अनुमानों के बीच भी असमानताएं थीं। कमिटी ने कहा कि बजट और संशोधित अनुमानों के बीच लगातार असमानता विभाग द्वारा वित्तीय योजना की कमी को दर्शाती है।¹⁷

रेखाचित्र 7: नमामि गंगे मिशन पर बजटीय आवंटन और व्यय (करोड़ रुपए में)



नोट: बअ बजट अनुमान है। 2022-23 का वास्तविक आंकड़ा संशोधित अनुमान है। स्रोत: विभिन्न वर्षों के लिए जल संसाधन विभाग की अनुदान मांगें; पीआरएस।

तालिका 11: एनएमसीजी द्वारा जारी धनराशि और वास्तविक व्यय (करोड़ रुपए में)

वर्ष	जारी धनराशि	व्यय	% उपयोग
2016-17	1,675	1,063	63%
2017-18	1,423	1,625	114%
2018-19	2,308	2,627	114%
2019-20	1,553	2,673	172%
2020-21	1,300	1,340	103%
2021-22	1,893	1,893	100%
2022-23	1,975	1,614	82%

स्रोत: अतारांकित प्रश्न संख्या 1203, राज्यसभा, जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2023 को दिया गया; पीआरएस।

हालांकि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) को जारी किए गए धन का उपयोग अक्सर 100% से अधिक हुआ है (तालिका 11)। एनएमसीजी तभी धनराशि जारी करता है, जब राज्य उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रदान करते हैं। कैंग (2017) ने पाया कि राज्य एनएमसीजी को देरी से ये प्रमाणपत्र देते हैं।³⁹ उसने कहा कि इससे योजना के वित्तीय और भौतिक प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

परियोजनाओं की धीमी प्रगति: 31 दिसंबर, 2022 तक नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 409 परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें से 232 (57%) पूरी हो चुकी हैं और चालू हो चुकी हैं।³⁸ कुल अनुमानित लागत 32,912 करोड़ रुपए है। इनमें से अधिकांश परियोजनाएं सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से संबंधित हैं।³⁸ कमिटी (2021) ने परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर ध्यान दिया, विशेष रूप से सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित।¹⁵ उसने सुझाव दिया कि लागत में बढ़ोतरी और समय में देरी से बचने के लिए कार्यान्वयन की रुकावटों को दूर करने वाले उपाय किए जाएं।

तालिका 12: नमामि गंगे परियोजनाओं की प्रगति (22 मार्च, 2022 तक)

परियोजना का प्रकार	स्वीकृत परियोजना	स्वीकृत लागत (करोड़ रुपए में)	पूरी हुई परियोजनाएं
सीवरेज परियोजनाएं	160	24,568	76
नदी तट, घाट और श्मशान	90	1,553	66
ग्रामीण स्वच्छता	1	1,421	0
औद्योगिक प्रदूषण उपशमन	15	1,267	0
पौधरोपण एवं जैव विविधता संरक्षण	41	635	26

स्रोत: अतारांकित प्रश्न संख्या 1988, राज्यसभा, 21 मार्च 2022 को उत्तर दिया गया; पीआरएस।

नदी लिंकिंग

नदियों को आपस में जोड़ने यानी लिंकिंग में पानी की अधिकता वाले नदी बेसिनों से पानी की कमी वाले बेसिनों में पानी का स्थानांतरण शामिल है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अनुसार, व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी द्वारा 30 नदी-लिंक की पहचान की गई है।⁴⁰ आठ के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम के तहत सूचीबद्ध परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति अनुलग्नक III में दी गई है। केवल एक, केन-बेतवा लिंक परियोजना का कार्यान्वयन शुरू हुआ है। इसे दिसंबर 2021 में केंद्र सरकार द्वारा 44,605 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई थी। 2021-22 में परियोजना के लिए 4,642

रुपए का बजट रखा गया था और खर्च 4,634 रुपए था। 2022-23 और 2023-24 में बजट आवंटन घटकर क्रमशः 1,400 करोड़ रुपए और 3,500 करोड़ रुपए हो गया।

अंतरराज्यीय संबंध: भारत में अधिकांश नदी बेसिन राज्य की सीमाओं के पार जाते हैं। नदी-लिंक परियोजनाओं के लिए उन नदी घाटियों में स्थित राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय की आवश्यकता होती है। जल संसाधन संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (2022) ने पाया था कि नदी जोड़ परियोजनाओं को लागू करने में मुख्य समस्या राज्यों के बीच आम सहमति की कमी है।¹⁷ अधिशेष जल संसाधनों वाले 17 राज्य पानी को अन्य नदी बेसिनों में ले जाने पर सहमत नहीं हो सकते हैं। कमिटी ने कहा कि ऐसी स्थितियों में, केंद्र सरकार को सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए और किसी भी विवादास्पद समस्या का समाधान करना चाहिए।¹⁷ कमिटी ने सुझाव दिया कि नदी लिंक परियोजनाओं में राज्यों को हिस्सेदारी के लिए प्रोत्साहित करने हेतु वित्तीय लाभ, जैसे हस्तांतरित करों की बढ़ी हुई हिस्सेदारी, या कर लाभ प्रदान किए जा सकते हैं।

मंत्रालय ने कहा है कि वह नदी लिंक परियोजनाओं पर राज्यों के साथ परामर्शात्मक दृष्टिकोण अपना रहा है।¹⁷ नदी लिंकिंग के कानूनी पहलुओं की जांच करने और सक्षम प्रावधान तैयार करने के लिए एक कानूनी समूह का गठन किया गया है। केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

अनुलग्नक I

तालिका 13: ओडीएफ प्लस कवरेज की स्थिति

राज्य	कुल गांव	ओडीएफ प्लस गांव	ओडीएफ प्लस गांवों का %	बेहतर स्वच्छता सुविधा वाले घरों में रहने वाली जनसंख्या का %
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	189	189	100%	88.0
आंध्र प्रदेश	18,709	4,714	25%	72.1
अरुणाचल प्रदेश	5,357	99	2%	83.4
असम	25,493	388	2%	68.4
बिहार	36,858	8,575	23%	45.7
छत्तीसगढ़	18,798	5,522	29%	73.5
दादरा-नगर हवेली और दमन-दीव	97	97	100%	63.3
गोवा	365	204	56%	86.4
गुजरात	18,288	7,211	39%	63.3
हरियाणा	6,769	1,966	29%	84.6
हिमाचल प्रदेश	15,900	12,284	77%	81.3
जम्मू एवं कश्मीर	7,254	4,128	57%	72.3
झारखंड	29,414	2,999	10%	50.8
कर्नाटक	26,190	22,272	85%	68.5
केरल	1,509	569	38%	98.5
लद्दाख	238	60	25%	34.8
लक्षद्वीप	9	9	100%	100.0
मध्य प्रदेश	50,365	28,463	57%	59.2
महाराष्ट्र	40,255	5,854	15%	69.4
मणिपुर	2,556	24	1%	67.5
मेघालय	5,832	547	9%	83.3
मिजोरम	694	246	35%	93.2
नागालैंड	1,425	333	23%	90.4
ओडिशा	46,778	13,910	30%	58.0
पुद्दुचेरी	108	67	62%	74.0
पंजाब	14,041	843	6%	85.9
राजस्थान	42,850	13,545	32%	66.1
सिक्किम	403	203	50%	89.3
तमिलनाडु	12,525	11,910	95%	63.3
तेलंगाना	12,769	12,769	100%	72.9
त्रिपुरा	1,176	99	8%	71.6
उत्तर प्रदेश	95,829	31,136	32%	64.8
उत्तराखंड	15,049	4,005	27%	77.7
पश्चिम बंगाल	41,443	1,858	4%	64.7
कुल	5,95,535	1,97,098	33%	64.9

नोट: बेहतर स्वच्छता सुविधा में फलश टू पाइपड सीवर सिस्टम, फलश टू सैप्टिक टैंक, फलश टू पिट शौचालय, फलश टू डॉट नो वेयर, हवादार बेहतर पिट (बीआईपी)/बायोगैस शौचालय, स्लैब के साथ पिट शौचालय, टुविन पिट/कम्पोस्टिंग शौचालय शामिल हैं, जिसे किसी अन्य घर के साथ साझा नहीं किया जाता है।
 स्रोत: ओडीएफ प्लस आंकड़ों के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0 डैशबोर्ड; स्वच्छता कवरेज के आंकड़ों के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5; पीआरएस।

अनुलग्नक II**तालिका 14: भारत में भूजल निष्कर्षण का चरण (2022)**

राज्य	भूजल निष्कर्षण के चरण (%)	राज्य	भूजल निष्कर्षण के चरण (%)
आंध्र प्रदेश	29	ओडिशा	44
अरुणाचल प्रदेश	1	पंजाब	166
असम	12	राजस्थान	151
बिहार	45	सिक्किम	6
छत्तीसगढ़	50	तमिलनाडु	76
दिल्ली	98	तेलंगाना	42
गोवा	24	त्रिपुरा	10
गुजरात	53	उत्तर प्रदेश	71
हरियाणा	134	उत्तराखंड	48
हिमाचल प्रदेश	38	पश्चिम बंगाल	47
झारखंड	31	अंडमान और निकोबार	1
कर्नाटक	70	चंडीगढ़	81
केरल	53	दादरा एवं नगर हवेली	133
मध्य प्रदेश	59	दमन और दीव	158
महाराष्ट्र	55	जम्मू एवं कश्मीर	24
मणिपुर	8	लद्दाख	41
मेघालय	4	लक्षद्वीप	62
मिजोरम	4	पुदुच्चेरी	69
नागालैंड	3	कुल	60

स्रोत: भारत के गतिशील भूजल संसाधन 2022, केंद्रीय भूजल बोर्ड; पीआरएस।

अनुलग्नक III

तालिका 15: राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत चिन्हित नदी लिंक परियोजनाओं की स्थिति

क्रम संख्या	नाम	नदियां	संबंधित राज्य	स्थिति
प्रायद्वीपीय घटक				
1(क)	महानदी (मणिभद्रा)-गोदावरी (दोलाईस्वरम) लिंक	महानदी और गोदावरी	झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक और महाराष्ट्र	व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर) पूरी हो गई
1(ख)	महानदी (बरमुल)-गोदावरी (दोलाईस्वरम) लिंक	महानदी और गोदावरी	झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक और महाराष्ट्र	एफआर पूरी हुई
2	गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (पुलीचिंतला) लिंक	गोदावरी और कृष्णा	ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक	एफआर पूरी हुई
3	गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक	गोदावरी और कृष्णा	ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक	एफआर और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पूरी हो गई
4	गोदावरी (पोलावरम)-कृष्णा (विजयवाड़ा) लिंक	गोदावरी और कृष्णा	ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक	एफआर पूरी हुई
5	कृष्णा (अलमाटी)-पेन्नार लिंक	कृष्णा और पेन्नार	तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक	एफआर पूरी हुई
6	कृष्णा (श्रीशैलम)-पेन्नार लिंक	कृष्णा और पेन्नार	तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक	एफआर पूरी हुई
7	कृष्णा (नागार्जुनसागर)-पेन्नार (सोमासिला) लिंक	कृष्णा और पेन्नार	तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक	एफआर और डीपीआर पूरी हो गई.
8	पेन्नार (सोमासिला)-कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक	पेन्नार और कावेरी	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुच्चेरी	एफआर और डीपीआर पूरी हो गई
9	कावेरी (कट्टलाई)-वैगई-गुंडर लिंक	कावेरी, वैगई और गुंडर	कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुच्चेरी	डीपीआर पूरी हो गई.
10	केन-बेतवा लिंक	केन और बेतवा	उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश	डीपीआर पूरा हो गई। केन-बेतवा लिंक परियोजना को मंजूरी दे दी गई है
11 (i)	पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक	पार्वती, कालीसिंध और चंबल	मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान ने सर्वसम्मति तैयार के दौरान परामर्श लेने का अनुरोध किया)	एफआर पूरी हुई
(ii)	पार्वती-कुनो-सिंध लिंक	पार्वती, कुनो और सिंध	मध्य प्रदेश और राजस्थान	पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) पूरी हो गई।*
12	पार-तापी-नर्मदा लिंक	पार, तापी और नर्मदा	महाराष्ट्र और गुजरात	डीपीआर पूरी हो गई.
13	दमनगंगा-पिंजल लिंक	दमनगंगा और पिंजल	महाराष्ट्र और गुजरात	डीपीआर पूरी हो गई
14	बेड़ती-वरदा लिंक	बेड़ती और वरदा	महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक	पीएफआर पूरा हो गई। ड्राफ्ट डीपीआर पूरी हो गई
15	नेत्रावती-हेमावती लिंक	नेत्रावती और हेमावती	कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल	पीएफआर पूरा हो गई
16	पंजा- अचानकोविल-वैप्पार लिंक	पंजा, अचानकोविल और वैप्पार	केरल और तमिलनाडु	एफआर पूरी हुई
* राजस्थान की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना और पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक का एकीकरण।				
हिमालयी घटक				
1	मानस-संकोश-तिस्ता-गंगा (एम-एस-टी-जी) लिंक	मानस, संकोश, तिस्ता और गंगा	भूटान और भारत (असम, पश्चिम बंगाल और बिहार)	एफआर पूरी हुई
2	कोसी-घाघरा लिंक	कोसी और घाघरा	नेपाल और भारत (बिहार और उत्तर प्रदेश)	पीएफआर पूरी हुई

3	गंडक-गंगा लिंक	गंडक और गंगा	नेपाल और भारत (बिहार और उत्तर प्रदेश)	एफआर पूरी हुई (भारतीय भाग)
4	घाघरा-यमुना लिंक	घाघरा और यमुना	नेपाल और भारत (बिहार और उत्तर प्रदेश)	एफआर पूरी हुई (भारतीय भाग)
5	सारदा-यमुना लिंक	सारदा और यमुना	नेपाल और भारत (बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान)	एफआर पूरी हुई (भारतीय भाग)
6	यमुना-राजस्थान लिंक	यमुना और सुकरी	गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश	एफआर पूरी हुई
7	राजस्थान-साबरमती लिंक	साबरमती	गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश	एफआर पूरी हुई
8	चुनार-सोन बैराज लिंक	गंगा और सोन	बिहार और उत्तर प्रदेश	ड्राफ्ट एफआर पूरी हुई
9	सोन बांध-गंगा लिंक की दक्षिणी सहायक नदियां	सोन और बटुआ	बिहार और झारखंड	पीएफआर पूरी हुई
10	गंगा (फरक्का)-दामोदर-सुवर्णरेखा लिंक	गंगा, दामोदर और सुवर्णरेखा	पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड	एफआर पूरी हुई; डीपीआर प्रगति पर है
11	सुवर्णरेखा-महानदी लिंक	सुवर्णरेखा और महानदी	पश्चिम बंगाल और ओडिशा	एफआर पूरी हुई
12	कोसी-मेची लिंक	कोसी और मेची	नेपाल और भारत (बिहार और पश्चिम बंगाल)	पीएफआर पूरी हुई
13	गंगा (फरक्का)-सुंदरबन लिंक	गंगा और इच्छामती	पश्चिम बंगाल	एफआर पूरी हुई
14	जोगीघोषा-तिस्ता-फरक्का लिंक (एम-एस-टी-जी का विकल्प)	मानस, तिस्ता और गंगा	असम, बिहार और पश्चिम बंगाल	रद्द

स्रोत: अतारांकित प्रश्न संख्या 1608, लोकसभा, जल शक्ति मंत्रालय, उत्तर 15 दिसंबर, 2022; पीआरएस।

¹ About Us, Department of Water Resources, River Development, and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti, accessed on February 12, 2023, <https://jalshakti-dowr.gov.in/about-us/functions>.

² About Us, Department of Drinking Water and Sanitation, Ministry of Jal Shakti, accessed on February 12, 2023, <https://jalshakti-ddws.gov.in/en/about-us>.

³ History, Department of Water Resources, River Development, and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti, accessed on February 12, 2023, <https://jalshakti-dowr.gov.in/about-us/history>.

⁴ Demand No. 62, Department of Water Resources, River Development, and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti, Union Budget 2023-24, <https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/sbe62.pdf>;

⁵ Demand No. 63, Department of Drinking Water and Sanitation, Ministry of Jal Shakti, Union Budget 2023-24, <https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/sbe63.pdf>.

⁶ Jal Jeevan Mission (JJM), Department of Drinking Water and Sanitation, accessed on February 14, 2023, https://jalshakti-ddws.gov.in/sites/default/files/JJM_note.pdf.

⁷ 'Year End Review 2022: Department of Drinking Water and Sanitation, Ministry of Jal Shakti', Press Information Bureau, Ministry of Jal Shakti, December 27, 2022, <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1886953>.

⁸ JJM – Reports, Department of Drinking Water and Sanitation, accessed on February 16, 2023, https://ejalshakti.gov.in/JJM/JJMReports/Financial/JJMRep_StatewiseAllocationReleaseExpenditure.aspx.

⁹ Jal Jeevan Mission – Har Ghar Jal Dashboard, accessed on February 14, 2023, <https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx>.

¹⁰ Report No. 19, Standing Committee on Water Resources, Action Taken on the Recommendations contained in the 16th report, February 10, 2023, https://loksabhadocs.nic.in/lssccommittee/Water%20Resources/17_Water_Resources_19.pdf.

¹¹ Finance Commission in Covid Times, Report for 2021-26, Vol III, 15th Finance Commission, October 2020, <https://fincomindia.nic.in/ShowContentOne.aspx?id=9&Section=1>.

¹² Swachh Bharat Mission Grameen 2.0 Dashboard, Department of Drinking Water and Sanitation, Ministry of Jal Shakti, accessed on February 14, 2023, <https://sbm.gov.in/sbmgdashboard/statesdashboard.aspx>.

¹³ National Annual Rural Sanitation Survey, Round – 3, 2019-20, Submitted to the Department of Drinking Water and Sanitation, Ministry of Jal Shakti, https://jalshakti-ddws.gov.in/sites/default/files/NARSS_Round_3_2019_20_Report.pdf.

¹⁴ Report No. 16, Standing Committee on Water Resources, Demands for Grants of the Department of Drinking Water and Sanitation, 2022-23, March 23, 2022, https://loksabhadocs.nic.in/lssccommittee/Water%20Resources/17_Water_Resources_16.pdf.

¹⁵ Report No. 15, Standing Committee on Water Resources, Demands for Grants 2022-23, Ministry of Jal Shakti, March 23, 2022, https://loksabhadocs.nic.in/lssccommittee/Water%20Resources/17_Water_Resources_15.pdf.

¹⁶ 'Per Capita Availability of Water', Press Information Bureau, Ministry of Jal Shakti, March 25, 2021, <https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1707522>.

¹⁷ Report No. 18, Standing Committee on Water Resources, Action Taken Report on Demands for Grants 2022-23, December 20, 2022, https://loksabhadocs.nic.in/lssccommittee/Water%20Resources/17_Water_Resources_18.pdf.

¹⁸ Dynamic Ground Water Resources Assessment of India – 2022, Central Ground Water Board, November 2022, <http://cgwb.gov.in/documents/2022-11-11-GWRA%202022.pdf>.

¹⁹ Agricultural Statistics at a Glance, 2021, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, [https://eands.dacnet.nic.in/PDF/Agricultural%20Statistics%20at%20a%20Glance%20-%202021%20\(English%20version\).pdf](https://eands.dacnet.nic.in/PDF/Agricultural%20Statistics%20at%20a%20Glance%20-%202021%20(English%20version).pdf).

²⁰ Atal Bhujal Yojana Programme Guidelines, Ministry of Jal Shakti, https://ataljal.mowr.gov.in/Ataljalimages/Atal_Bhujal_Yojana_Program_Guidelines_Ver_1.pdf.

- ²¹ Unstarred Question No. 888, Rajya Sabha, Ministry of Jal Shakti, answered on February 10, 2020, <https://rajyasabha.nic.in/Questions/IntegratedSearchForm>.
- ²² Jal Shakti Abhiyan, Press Information Bureau, Ministry of Jal Shakti, July 21, 2022, <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1843395>.
- ²³ Jal Shakti Abhiyan Dashboard, accessed on February 13, 2022, <https://jsactr.mowr.gov.in/>.
- ²⁴ Unstarred Question No. 2115, Lok Sabha, Ministry of Rural Development, answered on December 20, 2022, <https://pqals.nic.in/annex/1710/AU2115.pdf>.
- ²⁵ Mission Amrit Sarovar, accessed on February 16, 2023, <https://amritsarovar.gov.in/login#>.
- ²⁶ Central Ground Water Board, accessed on February 13, 2023, <http://cgwb.gov.in/index.html>.
- ²⁷ “PMKSY Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana”, Press Information Bureau, Ministry of Jal Shakti, August 4, 2022, <https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1848470>.
- ²⁸ “Assistance to States under AIBP”, Press Information Bureau, Ministry of Jal Shakti, March 18, 2021, <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1705787>.
- ²⁹ Unstarred Question No. 364, Rajya Sabha, Ministry of Jal Shakti, answered on February 6, 2023, <https://pqars.nic.in/annex/259/AU364.pdf>.
- ³⁰ Report No. 22 of 2018 (Performance Audit), ‘Accelerated Irrigation Benefits Programme’, Comptroller and Auditor General of India, <https://cag.gov.in/en/audit-report/details/48670>.
- ³¹ Report No. 12, Standing Committee on Water Resources, “Flood Management in the Country including International Water Treaties in the field of Water Resource Management with particular reference to Treaty/Agreement entered into with China, Pakistan, and Bhutan”, August 5, 2021, https://loksabhadocs.nic.in/lssccommittee/Water%20Resources/17_Water_Resources_12.pdf.
- ³² Flood Management and Border Areas Programme, Department of Water Resources, River Development, and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti, accessed on February 12, 2023, <https://jalshakti-dowr.gov.in/schemes/flood-management-programme>.
- ³³ Flood Management & Border Areas Programme Dashboard, accessed on February 13, 2023, <https://pmksy-mowr.nic.in/fmbap/>.
- ³⁴ Schedule VII, Constitution of India, <https://legislative.gov.in/sites/default/files/COL.pdf>.
- ³⁵ Finance Commission in Covid Times, Report for 2021-26, 15th Finance Commission, October 2020, https://fincomindia.nic.in/writereaddata/html_en_files/fincom15/Reports/XVFC%20VOL%20I%20Main%20Report.pdf.
- ³⁶ National Floodplains Zoning Policy, Press Information Bureau, Ministry of Jal Shakti, March 14, 2022, <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1805812#:~:text=A%20model%20draft%20bill%20for,of%20use%20of%20flood%20plain>.
- ³⁷ ‘What is the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction?’, United Nations Office for Disaster Risk Reduction, accessed on February 16, 2023, <https://www.undrr.org/implementing-sendai-framework/what-sendai-framework>.
- ³⁸ Unstarred Question No. 1193, Rajya Sabha, Ministry of Jal Shakti, answered on February 13, 2023, <https://pqars.nic.in/annex/259/AU1193.pdf>.
- ³⁹ Report No. 39 of 2017 (Performance Audit), ‘Rejuvenation of River Ganga (Namami Gange)’, Comptroller and Auditor General of India, <https://cag.gov.in/en/audit-report/details/34506>.
- ⁴⁰ Unstarred Question No. 1608, Lok Sabha, Ministry of Jal Shakti, answered on December 15, 2022, <https://pqals.nic.in/annex/1710/AU1608.pdf>.

अस्वीकरण: प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूप या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।